फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

असरफी बनाम बुधसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, मु0 नं0 ....सन –2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–06–23	वकील प्रार्थी श्री शकूर खॉन एडवोकेट के साथ प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगणो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25–07–23 तक पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 298 रकबा 0.67 है0, 733 रकबा 0.83 है0, 734 रकबा 0.01 है0, रकबा 735 रकबा 0.87 है0 कुल किता 4 रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम चिरखाना तहसील अलवर मे वादी के हिस्से आराजी तक राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस तलबाना पेश हो। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा **(Absolute)** कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में दिनांक 25.07.2023 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 25.07.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अलवर अलवर	
19-7-23	पत्रावली पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व आज पत्रावली पेश हुई वादी। वकील वादी ने उप० होकर प्रा०पत्र मे कथन किया कि हमारा आपसी घर पर राजीनामा हो चुका है और मुकदमे को नहीं चलाना चाहते है और इसी स्तर पर खारिज करना चाहते है वादी, वकील वादी को सुना गया काफी स्वीकार किया जाकर उपरान्त प्रा०पत्र वादी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।	रफीक उमरदीन आबिद अलवर इनजीरा I.D (निजाम रफीक एड०)

उपखण्ड अधिकारी

अलवर